

प्रसक्त

मधुकर गुप्ता  
मुख्य सचिव  
उत्तरांचल शासन

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 18 जुलाई, 2002

विषय:- विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय,

विदेश सेवायोजन, विदेश प्रशिक्षण, विदेशों में आयोजित सेमीनार/ विचार गोष्ठी/सम्मेलन/सिम्पोजियम/स्वास्थ्यशिव/फेलोशिप/विदेश प्रतिनियुक्ति एवं व्यक्तिगत कार्यों से विदेश यात्रा किये जाने की नीति से संबंधित पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों की अवकृति करते हुए, उपर्युक्त के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

1. विदेश सेवायोजन-

विदेश सेवायोजन हेतु प्राप्त होने वाले सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्रों को अग्रसारित करने एवं उन पर अनुमति प्रदान करने से पूर्व निम्नलिखित विन्दुओं के आधार पर प्रकरणों का परीक्षण किया जाय-

- (1) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित किए जाय, जो 05 वर्ष या उससे अधिक अवधि में सेवारत हो, और जिन्हें संबंधित विषय की विशेषता में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो।
- (2) ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित न किए जाय, जिनके विरुद्ध सार्वजनिक/प्रशासनिक/विभागीय जांच लक्षित हो, अथवा जिनके विरुद्ध जांच में से कोई जांच किए जाने का निर्णय ले लिया गया हो।
- (3) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित किए जाय, जिनके धारणाधिकार मूल विभाग में बनाये रखना संभव हो।
- (4) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित किए जाय, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र (यदि कोई हो) पर प्रस्तुत किये गये हों।

अनुमति का स्तर-

1. उपर्युक्तानुसार परीक्षण करने के उपरान्त विदेश सेवायोजन से संबंधित आवेदन-पत्रों के अग्रसारण हेतु विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं ना. मुख्य मंत्री की का अनुमति प्राप्त किया जाय।

I.T  
upload करे  
QAE  
27.01.18 EE



2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) एवं प्रादेशिक सिविल सेवा (पी.सी.एस.) विभागाध्यक्ष, निगमों के अध्यक्ष एवं निगमों के प्रबंध निदेशक से संबंधित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से भा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

## 2. विदेश प्रतिनिधित्व—

विदेश में प्रतिनिधित्व हेतु प्राप्त होने वाले सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्रों का परीक्षण उपयुक्त प्रस्तर-1 के प्रावधानों के अनुसार करते हुए, उक्त प्रस्तर के अनुसार ही सदन स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। विदेश में प्रतिनिधित्व की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी, और उक्त अवधि को समाप्त होने से 03 माह पूर्व संबंधित सरकारी सेवक को प्रतिनिधित्व से वापस बुलाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय।

## 3. विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, सेमीनार, विचार गोष्ठी, स्टडी टूर, सिम्पोजियम, वर्कशॉप एवं स्कालरशिप / फेलोशिप आदि में नामांकन/भाग लेना:—

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों आदि के अन्तर्गत विशिष्ट ज्ञान रखने वाले सरकारी सेवकों को विदेशों में आयोजित सेमीनार एवं गोष्ठियों आदि के लिए नामित किया जाता है। साथ ही साथ अन्य विदेश सरकारों द्वारा भारत के लक्ष्यप्रतिष्ठ वैज्ञानिकों चिकित्सकों, कलाकारों आदि को रागारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे सनरत कार्यक्रमों हेतु नामित किए जाने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में निम्नलिखित मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का पालन करने के उपरान्त ही उनका नामांकन/ आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाय:—

(1) दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने हेतु संबंधित सरकारी सेवक की आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए, जिसे विशिष्ट परिस्थितियों में एक वर्ष अर्थात् 46 वर्ष की आयु सीमा तक शिथिल किया जा सकता है किन्तु उक्त शिथिलीकरण हेतु संबंधित विभाग को यह प्रमाण देना होगा, कि संबंधित कार्यक्रम हेतु निर्धारित आयु सीमा के अधिकार या तो उपलब्ध नहीं हैं, अथवा नामित किए जाने वाले अधिकारी अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त हैं।

(2) लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 50 वर्ष तक की आयु के सरकारी सेवकों को नामित किया जाय।

(3) यदि किसी प्रशिक्षण आदि से संबंधित कार्यक्रम में संबंधित विदेश सरकार/संस्था द्वारा कोई निम्न आयु-सीमा निर्धारित की गयी है, तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाय।

(4) कम से कम 09 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने वाले सरकारी सेवकों के ही नामांकन किए जाय।

(5) ऐसे सरकारी सेवकों के नाम संस्तुत न किए जाय, जिन्हें संबंधित क्षेत्र/विषयवस्तु का समुचित ज्ञान न हो।

नोट:— (1) 30 दिन तक की अवधि के कार्यक्रमों को लघु अवधि के कार्यक्रम माना जाय 30 दिन से अधिक अवधि के कार्यक्रमों को दीर्घकालीन कार्यक्रम माना जायेगा।

(2) 15 दिन से कम अवधि के कार्यक्रमों में नामांकन हेतु 50 वर्ष की आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(6) ऐसे सरकारी सेवकों के नाम संस्तुत न किए जाय, जिनके विरुद्ध सतर्कता जॉब/प्रशासनाधिकरण जॉब/ अनुसाराधिक कार्यवाही लभित हो अथवा, जिसे प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया जा चुका हो। ऐसे सरकारी सेवकों के भी नाम संस्तुत न किए जाय, जिनके



सम्पूर्ण सेवाभिलेख निम्न स्तर के रहे हों, अथवा जिन्हें गंभीर प्रकृति की प्रतिकूल प्रवृत्ति प्रदान की गयी हो।

(7) ऐसे सरकारी सेवकों, जिन्होंने पूर्व में एक माह अथवा इससे अधिक का विदेश प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, को पुनः एक माह से अधिक की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित न किया जाय। यद्यपि ऐसे सेवकों को एक माह से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(8) ऐसे सरकारी सेवकों, जिन्होंने पूर्व में अल्पतम अवकाश अथवा अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करा कर, विदेश प्रशिक्षण आदि में भाग लिया हो, को पुनः विदेश प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नामित किए जाने पर सीधे प्रतिबंध नहीं होगा।

(9) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण आदि में नामित किए जाने पर तभी विचार किया जाय, जब उक्त सरकारी सेवक द्वारा लिये गये प्रशिक्षण की उपयोगिता उस विभाग को मिलाने की संभावना हो, और कम से कम दो वर्ष तक उक्त सरकारी सेवक के प्रतिनियुक्ति पर भी बने रहने की संभावना हो।

(10) भिन्ना-2 श्रेणी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भिन्न-भिन्न श्रेणी के सरकारी सेवकों के नामांकन किए जाय, ताकि प्रत्येक स्तर के सरकारी सेवक को प्रशिक्षित कराया जा सके।

(11) विदेश प्रशिक्षण आदि में नामांकन करने से पूर्व यह स्पष्ट कर दिया जाय, कि उक्त प्रशिक्षण की सुविधा देश में उपलब्ध नहीं है, अथवा किसी अन्य कारण से उक्त विदेश प्रशिक्षण अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।

(12) नामांकन करते समय अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य आरक्षित वर्ग के उपयुक्त सरकारी सेवकों की पात्रता पर भी भली भाँति विचार किया जाय।

(13) यदि संबंधित कार्यक्रम पर राज्य सरकार द्वारा व्यय-भार वहन किया जाना प्रस्तावित हो, तो प्रस्ताव पर उच्चानुमोदन प्राप्त करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति अवश्य प्राप्ता की जाय।

(14) स्वायत्तशासी निकायों एवं निगमों आदि में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण आदि से संबंधित कार्यक्रम पर यदि संबंधित निगम आदि के द्वारा ही व्यय-भार वहन किया जाना प्रस्तावित हो, तो ऐसे प्रकरणों पर वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु यह आवश्यक सुनिश्चित कर लिया जाय, कि संबंधित निगम उक्त व्यय-भार को वहन करने की स्थिति में है।

#### अनुमोदन का स्तर—

(1) उपर्युक्तानुसार परीक्षण करने के उपरान्त संबंधित विभागों द्वारा प्रस्ताव पर सीधे विभागीय सचिव / प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) एवं प्रादेशिक सिविल सेवा (पी.सी.एस.) विभागाध्यक्ष, निगमों के अध्यक्ष एवं निगमों के प्रबंध निदेशक से संबंधित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(3) किसी प्राविधान को अपरिहार्य परिस्थितियों में शिथिल किये जाने का प्रस्ताव होने पर प्रकरण को विभागीय सचिव / प्रमुख सचिव के अनुमोदनपरान्त कार्मिक विभाग को संदर्भित किया जाय, जो मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को धारण करेगा, तथा कार्मिक विभाग द्वारा शिथिलीकरण पर सहमति प्रदान किए जाने की स्थिति में प्रस्ताव पर विभागीय सचिव / प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।



4-विदेश सेवायोजना, प्रतिनियुक्ति एवं विदेश प्रशिक्षण आदि हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया-

(1) विदेश प्रशिक्षण आदि अनुमति प्रदान करते समय विभागों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि संबंधित सरकारी सेवक ने किसी विदेशी संस्था अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से सीधे ही उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न कर लिया है? सीधे निमंत्रण प्राप्त करना शासन की नीति को विपरीत है, अतः ऐसे सरकारी या गली भौति परीक्षण करने के उपरान्त ही उन पर अनुमोदन प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

(2) विदेश सेवायोजना/प्रतिनियुक्ति तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में आवेदन करने की तिथि समीप होने की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा संबंधित संस्था/संगठन को सीधे आवेदन पत्र (अग्रिम इति) भेजा जा सकता है, किन्तु संबंधित सरकारी सेवक का यह दायित्व होगा, कि वह अपने विभाग के माध्यम से भी आवेदन-पत्र का अग्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

अनुमोदन का स्तर-

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा (बी.पी.एस.) एवं प्रादेशिक डिप्लोमेट सेवा (पी.डी.एस.) विभाग/प्रदेश विभागों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक विदेशिक के अधिकारियों से संबंधित प्रस्तावों पर जागिरी विभाग द्वारा मुख्य सचिव एवं मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

5-निजी कार्य/निजी यात्रा पर विदेश यात्रा-

यदि कोई सरकारी सेवक अपने स्वयं पर, नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराकर, निजी कार्य से यथा-विदेश में इतना पत्र एवं अपने संबंधित से मिलने, उपचार कराने एवं पर्यटन आदि के उद्देश्य से विदेश यात्रा करता है, तब भी देश एवं प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न निहित होने के कारण निम्न मान-दर्शन विभागों के अनुसार प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाय-

(1) यदि किसी सरकारी सेवक के पिरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित हो, तो उसकी व्यक्तिगत विदेश यात्रा की संबंध में, समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाय।

(2) ऐसे सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान न की जाय, जिसके विदेश जाने से भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार को समझा किसी द्विविधा की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो।

(3) ऐसे सरकारी सेवकों को भी अनुमति प्रदान न की जाय, जिन्हें इससे पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना अस्वीकृत कर दिया गया हो और उक्त अस्वीकृत का आधार अभी विद्यमान हो।

(4) विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह भी देख लिया जाय, कि संबंधित सरकारी सेवक इससे पूर्व कब तथा किस प्रयोजन से विदेश यात्रा पर गया था।

अनुमोदन का स्तर-

(1) ऐसे सरकारी सेवकों के संबंधित विभाग/प्रदेश विभाग/प्रदेश विभागों में रखे जाय, जो विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान की जाय।

(2) जिन सरकारी सेवकों के सेवानिलेख शासन स्तर पर रखे जाते हैं को विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा अनुमति प्रदान की जाय।



(3) आई.ए.एस्त. एवं प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस्त.) एवं प्रादेशिक सचिव सेवा (पी.सी.एस.) विभागों के नियमित प्रस्तावों से संबंधित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव को अनुमोदन प्रदान किया जाय।


(4) नियमावली अन्वये से संबंधित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से ना. मुख्यमंत्री जी को अनुमोदन प्रदान किया जाय।

6. सामान्य-

विदेश सेवायोजन, विदेश प्रतिनिधित्व, विदेश प्रशिक्षण एवं निजी कार्य से विदेश यात्रा के प्रकारों पर शासन द्वारा निर्गत उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

नोट:- विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट निर्गत करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की कार्यवाही भी उपर्युक्तानुसार ही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,



(मधुकर गुप्ता)  
मुख्य सचिव।

संख्या 602/(1)कार्मिक-2-2002 सचिवनाम

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयीय, उत्तरांचल।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तरांचल।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(आलोक कुमार जैन)  
सचिव।